आदेश बइजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 261/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच.डी.बी.फाईनेन्सिएल सर्विसेज लि. रजिस्टर्ड कार्यालय राधिका, सैकिण्ड फ्लोर, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009 एवं शाखा कार्यालय 3, पार्क स्ट्रीट, प्रथम मंजिल, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, बनीपार्क, जयपुर, राज.

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स आईशा सिद्दीकाह टेक्सटाईल पता 172, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर – 303801, राज.। अन्य पता :– प्लॉट पट्टा नम्बर 91, ग्राम कालाडेरा, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, जयपुर – 303801, राज.।
2. हबीब तेली निवासी मस्जिद के पास, कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर – 303801, राज.।
3. श्रीमती नाजनीन तेली निवासीनी मस्जिद के पास, कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर – 303801, राज.।
4. मकबूल तेली निवासी मस्जिद के पास, कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर – 303801, राज.।
5. जन्नत एम. निवासी मस्जिद के पास, कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर – 303801, राज.।
6. सराजुद्दीन तेली निवासी मस्जिद के पास, कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर – 303801, राज.।

अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री हितेश सैन अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक 26.12.2021**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.07.2020 पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सराजुद्दीन तेली एवं जन्नत एम. ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 91, मिस्सल नम्बर 07, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पंचायत समिति, गोविन्दपुरी, जयपुर – 303801, राज., जिसका कुल क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज हैं। को बंधक कर कुल 48,52,433/–रुपये शब्देन अड़तालीस लाख बावन हजार चार सौ तेतीस रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करनें में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस जारी किये जानें के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करनें पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त

ला मजिस्ट्रेट
लक्टर) जयपुर

सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करनें हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध करानें का अनुरोध किया।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त, 2016 से सरफेशी अधिनियम–2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 48,52,433/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 56,80,656.55/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सराजुद्दीन तेली एवं जन्नत एम के स्वामित्व की सम्पत्ति सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 91, मिस्सल नम्बर 07, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पंचायत समिति, गोविन्दपुरी, जयपुर – 303801, राज., जिसका कुल क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर